



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122021-231524
CG-DL-E-01122021-231524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4556]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2021/अग्रहायण 10, 1943

No. 4556]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021/AGRAHAYANA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4927(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1777(E), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा अनंतनाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के भीतर आने वाली संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर किलोमीटर 246.2 से किलोमीटर 249.7 तक भूमि के खंड में (आपातकालीन लैंडिंग खंड के लिए एटीसी टावर के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.05.2021" को "राइजिंग कश्मीर (इंग्लिश)" और "श्रीनगर टाइम्स (उर्दू)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनन्तनाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के भीतर आने वाली संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर किलोमीटर 246.2 से किलोमीटर 249.7 तक भूमि के खंड में (आपातकालीन लैंडिंग खंड के लिए एटीसी टावर के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: अनन्तनागा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बिजबेहरा				
	गांव का नाम: जबलीपोरा				
1	51 Min	निजी	कृषि	0.00281	मोहड अक्रम ऍस्/ऐल्/ओ गल बदम (51)
2	51 Min	निजी	कृषि	0.010679	एब्दूल रफीड ऍस्/ओ इस्मेयल बदम (51)
3	51 Min	निजी	कृषि	0.02192	एब्दूल रैमन ऍस्/ओ इस्मेयल बदम (51)
4	51 Min	निजी	कृषि	0.020234	एब्दूल अजीज़ ऍस्/ओ इस्मेयल बदम (51)
5	51 Min	निजी	कृषि	0.026135	मोहड आमीन ऍस्/ओ एब्दूल गनि बदम (51)
6	51 Min	निजी	कृषि	0.015175	ऍम्/ऍस्टी. रफीका डबल्यू/ओ मोहड हूसेयन बदम (51)

7	51 Min	निजी	कृषि	0.098642	एब्दूल अज़ीज़ एँस्/ओ जीहेच्. रसूल बदम (51)
8	51 Min	निजी	कृषि	0.023325	म्यूलेम हसान एँस्/ओ एब्दूल गनि बदम (51)
9	51 Min	निजी	कृषि	0.065761	मोहड अक्रम एँस्/ओ एब्दूल रज़ाक बदम (51)
10	51 Min	निजी	कृषि	0.002529	एब्दूल रषीड एँस्/ओ इस्मेयल बदम (51)
11	51 Min	निजी	कृषि	0.00843	मोहड अक्रम एँस्/ओ एब्दूल रज़ाक बदम (51)
12	51 Min	निजी	कृषि	0.017704	मोहड सल्टन एँस्/ओ जीहेच् नाबी बदम (51)
13	51 Min	निजी	कृषि	0.012365	मोहड सल्टन, मंज़ूर आमाड, मुजफ्फर आमाड & शबीर आमाड सन्ज़ ओएँफ़ जीहेच् नाबी बदम ऐएँन् ईक्कल पैर (51)
14	52 Min	निजी	कृषि	0.007025	मोहड सल्टन, मंज़ूर आमाड, मुजफ्फर आमाड & शबीर आमाड सन्ज़ ओएँफ़ जीहेच् नाबी बदम ऐएँन् ईक्कल पैर ()
15	52 Min	निजी	कृषि	0.0143326	जाविद आमाड एँस्/ओ जीहेच् नाबी मेलिक (52)
16	52 Min	निजी	कृषि	0.0303514	मुजफ्फर आमाड एँस्/ओ जीहेच् नाबी बदम (52)
गांव का नाम: सिमथन					
17	1191	निजी	कृषि	0.3015	मोहड एब्दल एँस्/ओ नबीर डीएआर् (1191)
18	1191	निजी	कृषि	0.15681	रूबी जेएँन् डी/ओ गुलाम डीएआर् (1191)
19	1191	निजी	कृषि	0.08093	मष्टेक आमाड, फायज आमाड & सजद आमाड सन्ज़ ओएँफ़ मोहड एब्दल डीएआर्

					(1191)
20	1191	निजी	कृषि	0.08346	बपिर आमाड ,मोहड एयौब सन्ज ओएँफ़ अहद डीएआर् ऐएँन् ईक्कल पैर (1191)
21	1191	निजी	कृषि	0.18463	एब्डूल सालाम,एबी रहीम सन्ज ओएँफ़ हबीबुल्लाह डीएआर् ऐएँन् ईक्कल पैर (1191)
22	1191	निजी	कृषि	0.02641	ग्यूलेम आमाड ऐँस्/ओ गुलाम डीएआर्,मोहड अशरफ ऐँस्/ओ जेएँल् डीएआर् ऐएँन् ईक्कल पैर (1191)
23	1191	निजी	कृषि	0.00112	जीहेच्. रसूल ऐँस्/ओ एँल्ऐ डीएआर् (1191)
24	1191	निजी	कृषि	0.06871	फिरदूस हसान डबल्यू/ओ मटेक आमाड मुखदूमी (1191)
25	1191	निजी	कृषि	0.1188	शहीदा अख्तर डबल्यू/ओ अल्ताफ हूसेयन षा (1191)
			कुल	1.399788	

[फा. सं. 02/NH-44/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2021

S.O. 4927(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-44 on the stretch of land from Km. 246.2 to Km. 249.7 on NH-44 in the district of ANANTNAG in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rising Kashmir (English)” and “Srinagar Times (Urdu)” both dated 24 May, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-44 in the stretch of land from Km. 246.2 to Km. 249.7 on NH-44 (Additional Land required for construction of ATC tower for Emergency Landing Stretch) in the district of ANANTNAG in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: ANANTNAG		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bijbehara				
	Village: Jablipora				
1	51 Min	Private	Agricultural	0.00281	MOHD AKRAM SIL/O GULL BADAM 51
2	51 Min	Private	Agricultural	0.010679	ABDUL RASHEED S/O ISMAIL BADAM 51
3	51 Min	Private	Agricultural	0.02192	ABDUL REHMAN S/O ISMAIL BADAM 51
4	51 Min	Private	Agricultural	0.020234	ABDUL AZIZ S/O ISMAIL BADAM 51
5	51 Min	Private	Agricultural	0.026135	MOHD AMIN S/O ABDUL GANI BADAM 51
6	51 Min	Private	Agricultural	0.015175	MST. RAFIQA W/O MOHD HUSSAIN BADAM 51
7	51 Min	Private	Agricultural	0.098642	ABDUL AZIZ S/O GH. RASOOL BADAM 51
8	51 Min	Private	Agricultural	0.023325	GHULAM HASSAN S/O ABDUL GANI BADAM 51
9	51 Min	Private	Agricultural	0.065761	MOHD AKRAM S/O ABDUL RAZAQ BADAM 51
10	51 Min	Private	Agricultural	0.002529	ABDUL RASHEED S/O ISMAIL BADAM 51
11	51 Min	Private	Agricultural	0.00843	MOHD AKRAM S/O ABDUL RAZAQ BADAM 51
12	51 Min	Private	Agricultural	0.017704	MOHD SULTAN S/O GH NABI BADAM 51
13	51 Min	Private	Agricultural	0.012365	MOHD SULTAN,MANZOOR AHMAD,MUZAFFAR AHMAD &

					SHABIR AHMAD SONS OF GH NABI BADAM IN EQUAL SHARE 51
14	52 Min	Private	Agricultural	0.007025	MOHD SULTAN,MANZOOR AHMAD,MUZAFFAR AHMAD & SHABIR AHMAD SONS OF GH NABI BADAM IN EQUAL SHARE 52
15	52 Min	Private	Agricultural	0.0143326	JAVID AHMAD S/O GH NABI MALIK 52
16	52 Min	Private	Agricultural	0.0303514	MUZAFFAR AHMAD S/O GH NABI BADAM 52
Village: Semthan.					
17	1191	Private	Agricultural	0.3015	MOHD ABDULLAH S/O NABIR DAR 1191
18	1191	Private	Agricultural	0.15681	RUBY JAN D/O GULAM DAR 1191
19	1191	Private	Agricultural	0.08093	MUSHTAQ AHMAD ,FAYAZ AHMAD & SAJAD AHMAD SONS OF MOHD ABDULLAH DAR IN EQUAL SHARE 1191
20	1191	Private	Agricultural	0.08346	BASHIR AHMAD ,MOHD AYOUB SONS OF AHAD DAR IN EQUAL SHARE 1191
21	1191	Private	Agricultural	0.18463	ABDUL SALAM,AB RAHIM SONS OF HABIBULLAH DAR IN EQUAL SHARE 1191
22	1191	Private	Agricultural	0.02641	GHULAM AHMAD S/O GULAM DAR,MOHD ASHRAF S/O JAL DAR IN EQUAL SHARE 1191
23	1191	Private	Agricultural	0.00112	GH. RASOOL S/O ALI DAR 1191
24	1191	Private	Agricultural	0.06871	FIRDOOSA HASSAN W/O MUSHTAQ AHMAD MUKHDOOMI 1191
25	1191	Private	Agricultural	0.1188	SHAHIDA AKHTER W/O ALTAF HUSSAIN SHAH 1191
			TOTAL	1.399788	

[F. No. 02/NH-44/3D]

RAJESH GUPTA, Director